

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //


भोपाल, दिनांक 29.06. 2009

क्रमांक-एफ-19/89/2009/1/4 : इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 19-92/2003/3/1/4, भोपाल, दिनांक 01 अगस्त, 2003 द्वारा पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम से संबंधित गठित की गई कार्यपालक समिति का पुनर्गठन राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - अध्यक्ष
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म0प्र0 - सदस्य सचिव
3. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य
4. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य
5. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग - सदस्य
6. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग - सदस्य
7. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग - सदस्य
8. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, योजना विभाग - सदस्य
9. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, न.प्र. - सदस्य
10. पेयजल, सूचना, शिक्षा, संचार, मानव संसाधन, एम.आई.एस्. एवं मीडिया, स्वयं सेवी संस्थाओं से संबंधित विषय विशेषज्ञ (अधिकतम संख्या-06, पृथक से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नामांकन किया जाएगा) - सदस्य

उपरोक्त समिति का कार्य, शिखर समिति को सहयोग एवं सलाह देना होगा तथा यह समिति, शिखर समिति द्वारा निर्धारित कार्यों तथा निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम  
तथा आदेशानुसार



( सुदेश कुमार )

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन


सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०कं० एफ-19-89/2009/1/4

भोपाल, दिनांक : 29.06.2009

प्रतिलिपि :-

1. नमिति के अध्यक्ष/सदस्यगण/सदस्य सचिव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ ।
3. मुख्य सचिव, के अपर सचिव, म०प्र०शासन, मंत्रालय भोपाल ।
4. नियुक्त संचालक, जनसंपर्क (मंत्रालय प्रकोष्ठ) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग